FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

भागचन्द पुत्र स्व. हरिलाल ग्राम गुंदली तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 वगै.

वादीगण

बनाम

1. शिवजी पुत्र माधू ग्राम गुंदली तहसील अराई जिला अजमेर राज0 वगै.

प्रतिवादीगण

नंबर 391/2020

किस्म मुकदमा– 53,~~86~~,188 राज0 काश्तकारी अधि0

ऑनलाइन नंबर 2020/..........

वकील वादीगण करतार सिंह जी

वकील प्रतिवादीगण ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.09.2020	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील श्री करतार सिंह जी ने अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया। वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 11.11.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
11.11.2020	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी सं. 1 लगायत 11 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त जो शामिल मिसल। P.O. साहब चुनाव कार्य मे व्यस्त। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण दिनांक 3/12/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
3/12/2020	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उप. नहीं। P.O. साहब अवकाश पर पधारे पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/02/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

20/5/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 15/6/15 को पेश हो।

15/6/15 [illegible] पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 8/8/15 को पेश हो।

08/8/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 24/11/15 को पेश हो।

C.No. 391/2010 भागचन्द V/S शिवजी

24/11/15 पत्रावली पेश हुई वकील वादी अनुपस्थित। उक्त प्रकरण में वकील वादी द्वारा कमिशन (मुक्त) में जमानती करवाया गया है। वकील वादी को प्रात 10:30 बजे से तकरीबन 4 बजे तक तीन बार आवाज लगवाई किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं अतः वादी का वाद धारा/अदिश 09 नियम 03 [illegible] के तहत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

• प्राथमिक डिक्री •

(आर्डर 20 रूल्स 06–07 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री देवीलाल यादव (R.A.S.)

1. भागचन्द पुत्र स्व. हरिलाल आयु 24 साल
2. नीर पत्नी स्व. हरिलाल आयु 55 साल
3. रंगलाल पुत्र हरकरण आयु 60 साल

सर्व जाति जाट निवासी ग्राम गुन्दली, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. शिवजी पुत्र माधू
2. गोपाल पुत्र माधू
3. काना पुत्र माधू
4. रामकिशन पुत्र गोरधन
5. राधाकिशन पुत्र गोरधन
6. रामरतन पुत्र गोरधन
7. छीतर पुत्र गोरधन
8. रामेश्वर पुत्र लादू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गुन्दली, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, अजमेर राजस्थान।

10.शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बडौदा शाखा अरांई जिला अजमेर।

11.शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर।

–प्रतिवादीगण

•प्राथमिक डिकी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955•

मुकदमा नम्बर 391/2020 उनवान भागचन्द बनाम शिवजी

निर्णय दिनांक 11.08.2023

आदेश

वकील वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा वाद पत्र के समर्थन में पेश दस्तावेजात व बहस सुनने के बाद न्यायालय अरांई में वाद पत्र में हुक्म दिया जाता है व डिक्री जाती है कि वाद में वर्णित कृषि भूमि ग्राम गुंदली पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 167 रकबा 0.8090 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के अनुसार **BY METES AND BOUNDS** के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार अरांई को 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार अरांई **BY METES AND BOUNDS** के आधार पर, वादी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर नक्शे में अलग अलग खसरा, रंग, लगान व रास्ता प्रदर्शित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव आगामी तारीख दिनांक 25/8/23 तक प्रस्तुत करें।

आसीत मेरे दस्तखत व अदालत मुहर के आज दिनांक 11/8/23 को जारी की गई ।

श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी, अराई (अजमेर)

वाद क्रमांक 391/2020 भागचन्द बनाम शिवजी

1. भागचन्द पुत्र स्व. हरिलाल आयु 24 साल
2. नीर पत्नी स्व. हरिलाल आयु 55 साल
3. रंगलाल पुत्र हरकरण आयु 60 साल
सर्व जाति जाट निवासी ग्राम गुन्दली, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. शिवजी पुत्र माधू
2. गोपाल पुत्र माधू
3. काना पुत्र माधू
4. रामकिशन पुत्र गोरधन
5. राधाकिशन पुत्र गोरधन
6. रामरतन पुत्र गोरधन
7. छीतर पुत्र गोरधन
8. रामेश्वर पुत्र लादू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गुन्दली, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, अजमेर राजस्थान।

10.शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बडौदा शाखा अरांई जिला अजमेर।

11.शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

निर्णय दिनांक 11/8/23

उपस्थित : वकील वादी व वकील प्रतिवादी

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील करतार सिंह ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की वाद में वर्णित कृषि भूमि ग्राम गुंदली पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 167 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बंजर01 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर जिसमें उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी **By metes and bounds** के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है जिससे से नक्शा ट्रेस में अलग अलग बंटवारा नहीं है जिससे वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मनमुटाव हो जाता है तथा लडाई झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी **By metes and bounds** के आधार पर बंटवारा
.देया जावे।

तांक 04.08.2023 को वादी व प्रतिवादी ने उपस्थित होकर एक निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त प्रकरण में राजीनामा हो चुका है तथा ये वादअधीन भूमि **By metes and bounds** के आधार पर बंटवारा करवाने के आधार पर सहमत हैं।

प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद में वर्णित कृषि भूमि ग्राम गुंदली पटवार हल्का काकलवाडा तहसील अराई जिला अजमेर राज. में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 167 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बंजर01 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सा अनुसार बंटवारा करने हेतु तहसीलदार अराई को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे वादीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र जमा करवाने पर वादअधीन भूमि का **By metes and bounds** के आधार पर [राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20,21 की पालना करते हुये] बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनाक 25/8/23........................ से पूर्व न्यायालय में पेश करे।
तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार अराई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11/8/23.................. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर अराई (अजमेर)

श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
अराई

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)